

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक: एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ /2017-18/

177

जयपुर 23-5-18

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. आयुक्त, राप्रशिप., जयपुर।
4. परियोजना निदेशक, राप्रशिप, जयपुर।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
7. सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।

विषय:- मिड डे मील योजनान्तर्गत राज्य में "अन्नपूर्णा दूध योजना" लागु किये जाने से पूर्व की तैयारियों एवं योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय ,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश विभागीय पत्र क्रमांक 175 दिनांक 22.05.2018 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 02.07.2018 से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

"अन्नपूर्णा दूध योजना" को लागु किये जाने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली तैयारियों (Preparations) एवं योजना के शुभारम्भ (Launching) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है :-

1. "अन्नपूर्णा दूध योजना" को लागु किये जाने से पूर्व की तैयारियों (Preparations) के लिये दिशा निर्देश

1.1 जिला स्तर

- i. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (डीएसएमसी) की बैठक का आयोजन कर योजना की जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जावें।

- ii. मिड डे मील योजनान्तर्गत जिन जिलों में केन्द्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से पोषाहार वितरित किया जा रहा है सम्बन्धित NGO/ CSO प्रबन्धकों को DSMC की बैठक में आमंत्रित किया जाकर योजना की जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जावें।
- iii. राज्य स्तर से आवर्ती मद में राशि प्राप्त होते ही SMC /NGO/CSO/AMSS के खातों में हस्तान्तरण की जावे।
- iv. राज्य स्तर से प्राप्त अनावर्ती मद में बर्तन क्रय हेतु प्राप्त राशि का SMC के खातों में तत्काल हस्तान्तरित की जावे।

1.2 ब्लॉक स्तर

- i. उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (बीएसएमसी) की बैठक आयोजित करवाकर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जावें।
- ii. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने ब्लॉक के अधीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों /प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी से अवगत करवाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जावें।

1.3. ग्राम पंचायत स्तर

- i. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति/ अन्य स्रोत से सम्पर्क कर निर्धारित दिवसों पर आवश्यकता के अनुसार दूध की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जावे।
- ii. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों /प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जावे।

1.4. विद्यालय स्तर

- i. विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करवाकर योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दी जावे एवं आवश्यक सावधानियों से अवगत करावें।
- ii. योजना के क्रियान्वयन हेतु बर्तन इत्यादि की व्यवस्था की जावे।
- iii. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति/ अन्य स्रोत से सम्पर्क कर निर्धारित दिवसों पर आवश्यकता के अनुसार दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

2. अन्नपूर्णा दूध योजना के शुभारम्भ (Launching)के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश

- 2.1 **जिला स्तर :-**जिला मुख्यालय पर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए प्रभारी मंत्री, स्थानीय जन प्रतिनिधि गण, प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।
- 2.2 **ब्लॉक स्तर:-**प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए स्थानीय विधायक ,उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी,प्रधान, पंचायत समिति ,दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.18 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।

2.3 पंचायत स्तर व विद्यालय स्तर

- i. ग्राम पंचायत स्तर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।
- ii. योजना के शुभारम्भ के दिन 02 जुलाई, 2018 को प्रत्येक विद्यालय में विशेष पेरेन्ट टीचर मीटिंग (PTM) का आयोजन किया जावे।
- iii. दिनांक 02 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018 तक प्रत्येक विद्यालय में "अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह" का आयोजन किया जावे।

3. योजना का प्रचार-प्रसार

- 3.1 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा "अन्नपूर्णा दूध योजना" का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जावे।
- 3.2 विभिन्न IEC गतिविधियों यथा-होर्डिंग्स, बैनर्स, पम्पलेट्स, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार किया जावे।

अन्नपूर्णा दूध योजना के सम्बन्ध में उक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।


(नरेश पाल गंग्वानी)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

क्रमांक: एफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ /2017-18/

जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री /राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
- 5 उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- 9 सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
- 10 विभागाध्यक्ष, (समस्त) राजस्थान।
- 11 जिला कलक्टर, समस्त।
- 12 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

- 13 प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर।
- 14 निदेशक, (एमडीएम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
- 16 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला, समस्त
- 17 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)।
- 18 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक (समस्त)।
- 19 अति. आयुक्त (वित्त), मिड डे मील, जयपुर।
- 20 उपायुक्त (क्रि.मो.) मिड डे मील, जयपुर।
- 21 उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
- 22 ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (समस्त)
- 23 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी PEEO (समस्त)
- 24 प्रबन्धक, अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर।
- 25 प्रबन्धक, अदम्य चेतना ट्रस्ट, जोधपुर।
- 26 प्रबन्धक, अन्नामृत फाउण्डेशन, जयपुर।
- 27 प्रबन्धक, क्यूआरजी फाउण्डेशन, अलवर।
- 28 समस्त संचालक, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति।
- 29 प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड एवं समस्त के ई-मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 30 रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
मिड डे मील